न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 20/2020

रामनिवास पुत्र सुडाराम मीणा निवासी ग्राम कल्याणपुरा खुर्द तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

1. लाडा देवी पत्नी रामचन्द्र (फौत) नाम डिलिट आदेश 18/02/2021
2. सुगाराम पुत्र रामचन्द्र
3. भागीरथ पुत्र रामचन्द्र
4. पप्पू पुत्र रामचन्द्र
5. प्रेम पुत्री रामचन्द्र
6. लाली पुत्री रामचन्द्र
7. रामप्यारी पुत्री रामचन्द्र
8. सजना पुत्री रामचन्द्र

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम बूचारा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज0)

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटपूतली
10. रामेश्वर पुत्र स्व. रामचन्द्र जाति मीणा निवासी ग्राम बूचारा तहसील कोटपूतली

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 1462 ग्राम बूचारा तहसील कोटपूतली द्वारा तहसीलदार तहसील कोटपूतली दिनांक 11/02/2013

निर्णय दिनांक 09-02-2022

अपीलान्ट नामान्तरकरण संख्या 1462 वाके ग्राम बूचारा तहसील कोटपूतली स्वीकार द्वारा तहसीलदार कोटपूतली दिनांक 11/02/2013 से व्यथित होकर उक्त अपील उक्त नामान्तरकरण के विरूद्व पेश की है, जिसमें अपीलान्ट द्वारा वर्णित तथ्य निम्नभांति पेश किये हैं:–

1. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 97/1839 रकबा 1.12, 98/1840/0.25 वाके मौजा बूचारा तहसील कोटपूतली कुल किता 02 कुल रकबा 1.37 आराजी ख.नंकृ570/0.02, 571/2.24, 584/0.25 वाके मौजा बूचारा तहसील कोटपूतली के हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार रामचनद्र पुत्र गणपत कौम मीणा निवासी ग्राम बूचारा तहसील कोटपूतली था, जिसके द्वारा एक्सीस बैंक पूर्व नाम यू.टी.आई बैंक जयपुर से लोन लिया था। लोन का भुगतान नहीं होने पर रोडा एक्ट के तहत् उक्त भूमि को अपीलान्ट के नाम अन्तिम बोली होने पर दिनांक 20/12/2007 को निलाम कर दी गयी थी। इस प्रकार रामचन्द्र पुत्र गणपत जाति मीणा का उक्त आराजी में कोई हक हिस्सा एवं अधिपत्य नहीं रहा। तहसीलदार कोटपूतली ने उपरोक्त वर्णित भूमि का गैर कानूनी रूप से उनके वारिसान 01 लगायत 08 व 10 के नाम उक्त नामा. दिनांक 11/02/2013 को स्वीकार कर दिया, जिसके विरूद्व उक्त अपील पेश की गयी है।
2. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व एवं रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों के एवं विधि के प्रावधानों के विरूद्व होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

3. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध एवं न्याय के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्त है।
4. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट को सूचित किये तथा नामा. दर्ज करने की भारी भूल की है।
5. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त वर्णित भूमि में रेस्पोडेन्ट का कोई हक हिस्सा एवं अधिपत्य नहीं होने के बावजूद भी नामा. दर्ज करने में भारी भूल की है।
6. यह है कि उक्त वर्णित भूमि में रेस्पोडेन्ट के पति एवं पिता रामचन्द्र पुत्र गणपत का ही सम्पूर्ण हिस्सा निलामी के द्वारा बेचान किया जा चुका था। उसका सम्पूर्ण हिस्सा बेचान किये जाने के बाद उसके पास में उक्त वर्णित भूमि में कोई हक हिस्सा एवं अधिपत्य नहीं रहा जब रामचन्द्र का ही उक्त वर्णित भूमि में कोई हक, हिस्सा एवं अधिपत्य नहीं रहा तो उसके पास विरास्त में छोडने के लिए भूमि ही नहीं रही। रामचन्द्र मीणा की विरासत रेस्पोडेन्ट के नाम तस्दीक करने में अधिनस्थ न्यायालय ने अहम कानूनी गलती की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।
7. यह है कि उक्त निर्णय के बाद अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गयी। इस कारण अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कोई जानकारी नहीं हुयी। उक्त वर्णित भूमि को निलामी में छुडाने के बाद अपीलान्ट अपने नाम खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज कराने के लिए चक्कर काट रहा है। न्यायालय एस.डी.ओ कोटपूतली के द्वारा कई पत्र लिखने के बावजूद भी उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं किया गया है तथा एस.डी.ओ कोटपूतली के पत्रांक दिनांक 05/02/2020 के सम्बन्ध में तहसीलदार पावटा द्वारा दिनांक 04/6/2020 को एक पत्र उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली को लिखा जिसकी जानकारी प्रार्थी को दिनांक 16/6/2020 को हुयी उसी दिन अपीलान्ट ने नामा. की नकल हेतु प्रा.पत्र दिनांक 16/6/2020 को पेश किया जिसकी नकल अपीलान्ट को दिनांक 16/6/2020 को प्राप्त हुयी। नकल प्राप्त कर वकील से कानूनी सलाह लेकर बिना बेदरी किये श्रीमान् के समक्ष अपील पेश की है जो अन्दर मियाद प्रस्तुत है।
8. यह है कि अपील में मान्य न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है तथा अपील उचित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः अपील मय दफा–5 मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर नामा. संख्या 1462 ग्राम बूचारा तहसील द्वारा तहसीलदार कोटपूतली दिनांक 11/02/2013 को खारिज किया जाकर अपीलान्ट के नाम नामा. दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।
9. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी, रिपोर्ट समायत पायी जाने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तल्बी हेतु रजि. डाक से नियमानुसार सम्मन नोटिस जारी किये इसके बावजूद भी उपस्थित नहीं आये। इसलिए उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

10. बहस वकील अपीलान्ट सुनी गयी। वकील अपीलान्ट का बहस में अभिकथन है कि आराजी ख.नं. 97/1839 रकबा 1.12, 98/1840/0.25 वाके मौजा बूचारा कुल किता 02 रकबा 1.37 आराजी ख.नं. 570/0.02, 571/0.24 584/0.25 वाके मौजा बूचारा तहसील कोटपूतली के हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार रामचन्द्र पुत्र गणपत कौम मीणा निवासी बूचारा तहसील कोटपूतली था जिसके द्वारा जिसने यू. आई.टी बैंक जयपुर से लोन लिया था। लोकन भुगतान नहीं होने पर रोडा एक्ट के अन्तर्गत अपीलान्ट के नाम अन्तिम बोली होने पर दिनांक 20/12/2007 को निलाम कर दी गयी। इसके उपरान्त रामचन्द्र पुत्र गणपत मीणा का उक्त भूमि पर किसी प्रकार का हक, हिस्सा एवं अधिपत्य नहीं रहा इसके बावजूद भी तहसीलदार कोटपूतली द्वारा रामचन्द्र की विरास्त का इन्तकाल 1662 ग्राम बूचारा तहसील कोटपूतली उनके वारिसान् के नाम दिनांक 11/02/2013 को दर्ज कर दिया जो गैर क़ानूनी एवं विधि के विरूद्व है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने एवं बिना सूचना के उक्त नामा. दर्ज किया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत है जब रेस्पोडेन्ट के पिता रामचन्द्र पुत्र गणपत का ही सम्पूर्ण हिस्सा निलामी के द्वारा बेचान हो चुका है तथा उसका उक्त वर्णित भूमि पर हक हिस्सा एवं अधिपत्य नहीं रहा है तो अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त नामा. विरास्त का दर्ज नहीं करना चाहिए था । इसलिए उक्त नामा. खारिज योग्य है। उक्त नामा. बाबत अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं दी गयी। उपरोक्त वर्णित भूमि निलामी में छुडाई जाकर खातेदारी दर्ज कराने हेतु लगातार चक्कर काट रहा है तथा उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली द्वारा कई पत्र लिखे जाने के उपरान्त भी राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं हुआ है। तहसीलदार पावटा ने दिनांक 04/6/2020 को खातेदारी अधिकार दिये जाने बाबत उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली से मार्गदर्शन चाहे जाने पर अपीलान्ट को दिनांक 16/6/2020 को जानकारी हुयी। अपीलान्ट द्वारा जरिये निलामी से उक्त वर्णित भूमि छुडाई है जिसका नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना चाहिए था जबकि तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने एवं बिना सूचना के उक्त नामा. रामचन्द्र पुत्र गणपत की विरासत का नामा. उनके वारिसान् रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज किया है जो विधि विरूद्व है। इसलिए उक्त नामा. को खारिज किया जावें । राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

11. पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड साक्ष्य सबूतों एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तो पाया कि अपील में विर्णत खसरा नम्बरान् का खातेदार काश्तकार रामचन्द्र पुत्र गणपत मीणा निवासी ग्राम बूचारा था, जिसमें एक्सीस बैंक से लोन लिया था । लोन का भुगतान नहीं होने पर रोडा एक्ट के अन्तर्गत 20/12/2007 की भूमि की निलामी की गयी। अपीलान्ट के पक्ष में अन्तिम बोली रही निलामी की कार्यवाही पश्चात् रामचन्द्र पुत्र गणपत का उक्त वर्णित भूमि में कोई हिस्सा हक एवं

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अधिपत्य नहीं रहा। उक्त तथ्यों की अनदेखी कर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली ने दिनांक 11/02/2013 को रामचन्द्र पुत्र गणपत मीणा की विरासत का नामा. स्वीकार कर दिया गया जो विधि विरूद्व है एवं खारिज किये जाने योग्य है।

चूँकि रामचन्द्र पुत्र गणपत मीणा द्वारा ग्राम बूचारा अपनी खातेदारी भूमि का लोन जमा नहीं कराने पर भूमि कुर्क कर उनकी खातेदारी भूमि आराजी ख.नं. 97/1839/1.12, 98/1840/0.25 हिस्सा 1/2 व ख.नं. 570/0.02, 571/2.24 व 584/0.25 हिस्सा 1/4 की निलामी कार्यवाही में अन्तिम बोली अपीलान्ट रामनिवास पुत्र सुण्डाराम जाति मीणा निवासी कल्याणपुरा खुर्द 351,000/– तीन लाख इक्शवन हजार रूपये रही दिनांक 20/12/2007 को सार्वजनिक निलामी होकर अन्तिम अपीलान्ट की रही। अन्तिम बोली राशि जमा हो चुकी है तथा बैंक से (अदेय) लोडयूज प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया गया है। उक्त आराजी का कब्जा भी दिनांक 18/7/2016 को दिया जा चुका है। निलामी की कार्यवाही पूर्ण करायी जाकर अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए था। उक्त तथ्यों की अनदेखी कर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ना कर बकायादार रामचन्द्र मीणा की विरासत का नामा. उनके वारिसान् रेस्पोडेन्ट के नाम-दर्ज कर दिया जो गैर कानूनी रूप से नामान्तरकरण स्वीकार किया है। इसलिए नामा.सं. 1462 वाके ग्राम बूचारा को तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया है वह विधि विरूद्व है, जिसे अपास्त किया जाना उचित एवं न्याय संगत है। तहसीलदार पावटा को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी से निलामी की कार्यवाही पूर्ण करावें तथा पूर्ववर्ती निलामी की कार्यवाही पूर्ण होने पर ही अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन नामा.सं. 1462 वाके ग्राम बूचारा तहसील कोटपूतली स्वीकार दिनांक 11/02/2013 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार पावटा को आदेश दिये जाते है कि पूर्ववर्ती निलामी की कार्यवाही पूर्ण करायी जाकर अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने की कार्यवाही करे।

13. निर्णय आज दिनांक 9.2.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)